[डॉ**.** धनंजय वाई चंद्रचूड़ और सूर्या कांत**,** जे**.** जे**.]**

सीमा अधिनियम, 1963-सीमा का मुद्दा-प्रारंभिक मुद्दा-तथ्यों का विवादित प्रश्न -अपीलार्थी का मामला यह था कि प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी से समय-समय पर व्यावसायिक ऋण देने का अनुरोध किया था और अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया था-प्रत्यर्थी ने आंशिक रूप से दायित्व का निर्वहन किया, हालांकि, बकाया राशि का भुगतान करने में विफल रहा-अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी के खिलाफ वसूली के लिए एक मुकदमा दायर किया-प्रत्यर्थी ने इनकार किया कि कोई ऋण लेनदेन था, और इसके विपरीत, यह याचिका स्थापित की कि पक्षों के बीच लेनदेन अचल संपत्ति लेनदेन के संबंध में प्रत्यर्थी को अपीलार्थी द्वारा कमीशन के भुगतान से संबंधित है-एक आवेदन यू/या। 7 आर।11 प्रत्यर्थी द्वारा सी. पी. सी. की याचिका भी दायर की गई थी या वाद की अस्वीकृति इस आधार पर की गई थी कि मुकदमा सीमा द्वारा वर्जित था-जिसके अनुसार, निचली विचारण न्यायालय ने एक प्रारंभिक मुद्दा विरचित किया कि क्या मुकदमा सीमा द्वारा वर्जित था-निचली विचारण न्यायालय ने माना कि अंतिम भुगतान अपीलार्थी द्वारा <आई. डी. 2 पर किया गया था और चूंकि मुकदमा <आई. डी. 1 पर, तीन साल नौ महीने और दस दिन बाद, स्थापित किया गया था, इसलिए यह सीमा द्वारा वर्जित है-उच्च न्यायालय ने निचली विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश के खिलाफ अपीलार्थी द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया-अपील पर कहा गयाःअपीलार्थी ने विशेष रूप से वाद में एक याचिका दायर की है कि अंतिम किश्त के भुगतान की तारीख से एक वर्ष के भीतर ऋण का भुगतान किया जाना था-अपीलार्थी का मामला मुकदमे में पेश किए गए साक्ष्य के आधार पर साबित होना चाहिए-इस तरह के मुद्दे का निर्णय विशुद्ध रूप से प्रतिद्वंद्वी पक्षों की ओर से मौखिक दलीलों के आधार पर नहीं किया जा सकता था-ट्रायल जज ने प्रारंभिक मुद्दे की सुनवाई केवल बार में दलीलों के आधार पर की थी-पक्षों के बीच व्यावसायिक लेनदेन की प्रकृति पर दो परस्पर विरोधी संस्करण हैं-तत्काल मामले में सीमा के मुद्दे को पेश करने के लिए सबूत की आवश्यकता होगी-क्योंकि इस मामले में सीमा के मुद्दे का निर्धारण शुद्ध ए नहीं है।

/

/

/

/

/

/

998

999

मेसर्स मंगोलिया रियल्टी एंड बिल्डवेल पी. वी. टी. लिमिटेड. वी.माणिक सेठी ए

विधि के प्रश्न पर, इसे यू/या XIV आर के तहत प्रारंभिक मुद्दे के रूप में तय नहीं किया जा सकता है।2 – निचली अदालत के न्यायाधीश द्वारा विरचित की गई सीमा का मुद्दा सुनवाई के अन्य मुद्दों के साथ विरचित किया जा सकता है-इसलिए, निचली अदालत के न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के निर्णय को दरकिनार कर दिया जाता है-सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-Or.XIV r।2.

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

/

अभिनिर्धारित किया **:1.** अपीलार्थी ने विशेष रूप से शिकायत में एक याचिका दायर की है कि अंतिम किश्त के भुगतान की तारीख से एक वर्ष के भीतर ऋण का भुगतान किया जाना था। अपीलार्थी के मामले को वाद में प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर साबित करना होता है।इस तरह के मुद्दे का फैसला विशुद्ध रूप से चुनाव लड़ने वाले दलों की ओर से मौखिक तर्कों के आधार पर नहीं किया जा सकता था।प्रत्यर्थी ने ऋण लेन-देन के अस्तित्व से इनकार किया है और याचिका दायर की है कि अपीलार्थी द्वारा किए गए भुगतान कमीशन के कारण थे।पक्षों के बीच व्यावसायिक लेन-देन की प्रकृति पर दो विरोधाभासी संस्करण हैं, अपीलार्थी आरोप लगाता है कि यह एक ऋण था, जबकि प्रतिवादी आरोप लगाता है कि यह अचल संपत्ति सेवाओं के लिए एक कमीशन की प्रकृति में था।यह मुद्दा कि क्या अपीलार्थी का दावा सीमा द्वारा वर्जित है, पक्षों के बीच लेनदेन की प्रकृति से अलग नहीं किया जा सकता है।किसी भी स्थिति में, क्या वाद में स्थापित अपीलार्थी की याचिका साबित होती है, यह मुकदमे में पेश किए गए साक्ष्य पर निर्भर करेगा।मुकदमे के न्यायाधीश द्वारा पक्षकारों को सीमा के मुद्दे पर दलीलों को संबोधित करने का निर्देश देने के बाद की गई कार्रवाई अनियमित थी।वर्तमान मामले में सीमा के मुद्दे के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी।चूँकि इस मामले में सीमा के मुद्दे का निर्धारण विधि का

शुद्ध प्रश्न नहीं है, इसलिए इसे सी. पी. सी. के आदेश **XIV** नियम **2** के अंतर्गत प्रारंभिक मुद्दे के रूप में तय नहीं किया जा सकता है। इसलिए, यह न्यायालय अपील को स्वीकार करता है और **16** अगस्त **2018** के विचारण न्यायाधीश और **4** सितंबर **2019** के उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के निर्णय को रद्द कर देता है।विद्वत विचारण न्यायाधीश द्वारा विरचित की गई सीमा के मुद्दे पर विचारण में अन्य मुद्दों के साथ निर्णय लिया जा सकता है। **[**पारस **11,12** और **15] [1003-**डी**-**जी**; 1005-**डी**-**एफ**]**

/

/

/

/

/

नुस्ली नेविल वाडिया बनाम आइवरी प्रॉपर्टीज **(2020) 6** एससीसी

557:[2019] 15 एस. सी. आर. **795-**पर निर्भर।

/

1000 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 1 एस. सी. आर.

संदर्भित निर्णय

[2019] 15 एससीआर **795**

पर विश्वास किया

पैरा **14**

सिविल अपीलीय अधिकारिता सिविल अपील सं. 814

2022.

2019 के आर. एफ. ए. सं. 5 में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांकित 04.09.2019 के निर्णय और आदेश से।

/

उदय गुप्ता, सुश्री शिवानी एम. लाल, धनेश रेलान, एम. के. त्रिपाठी, हरीश दासन, राजीव रंजन, परितोष धवन, हीरेन दासन, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

/

संजय सहगल, अविनाश शर्मा, अधिवक्ता।प्रत्यर्थियों के लिए।न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.

1. अनुमति दी गई।

/

2. यह अपील 2019 के आर. एफ. ए. संख्या 5 में दिल्ली उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के निर्णय से उत्पन्न होती है।निचली न्यायालय ने 16 अगस्त 2018 के एक निर्णय से अपीलार्थी द्वारा दायर मुकदमे को सीमा के आधार पर खारिज कर दिया।उच्च न्यायालय ने उस आधार पर मुकदमे को खारिज करने को बरकरार रखा।

/

3. अपीलार्थी ने 31 मार्च 2017 (2017 का दीवानी मुकदमा संख्या 76 (2017 का नया नंबर 355)) को सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 1 के आदेश 37 के अंतर्गत प्रतिवादी के खिलाफ मुकदमा दायर किया, जिसमें मुकदमे की स्थापना की तारीख से पूरी राशि की प्राप्ति तक 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ 633 रुपये की राशि की वसूली की गई। प्रतिवादी ने 24 मई 2017 को एक लिखित बयान दायर किया।सी. पी. सी. के आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत इस आधार पर शिकायत की अस्वीकृति के लिए एक आवेदन दायर किया गया था कि मुकदमा सीमा द्वारा वर्जित था।4 जनवरी 2018 को, निचली न्यायालय ने एक प्रारंभिक मुद्दा विरचित किया कि क्या मुकदमा सीमा द्वारा वर्जित था।15 मार्च 2018 को, अपीलार्थी को अपनी प्रतिकृति दाखिल करने का अवसर दिया गया और प्रारंभिक मुद्दे पर दलीलों को संबोधित करने के लिए मुकदमे को 26 अप्रैल 2018 तक के लिए स्थगित कर दिया गया।अपीलार्थी ने 20 अप्रैल 2018 को अपनी प्रतिकृति दाखिल की।26 अप्रैल 2018 और 23 मई 2018 को निचली न्यायालय द्वारा स्थगन की अनुमति दी गई थी।26 जुलाई 2018 को निचली न्यायालय ने सुनवाई स्थगित करने की याचिका खारिज कर दी।

/

/

1 “सीपीसी "

/

1001

मेसर्स मंगोलिया रियल्टी एंड बिल्डवेल पी. वी. टी. लिमिटेड. वी.माणिक सेठी [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

/

अपीलार्थी।प्रत्यर्थी की ओर से मौखिक दलीलें सुनी गईं और अपीलार्थी को लिखित दलीलें दायर करने के लिए पंद्रह दिनों का समय दिया गया।अपीलार्थी 10 अगस्त 2018 से पहले लिखित दलीलें दायर करने में विफल रहा।16 अगस्त 2018 को, निचली न्यायालय ने कोई और समय देने से इनकार कर दिया और अपने निर्णय से अपीलार्थी के खिलाफ सीमा के मुद्दे का फैसला किया।अपीलार्थी ने 2019 के आर. एफ. ए. सं. 5 में अपील में मामले को उठाया।उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने 4 सितंबर 2019 के आक्षेपित निर्णय द्वारा अपील को खारिज कर दिया।

/

4. अपीलार्थी का मामला यह है कि प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी से समय-समय पर व्यावसायिक ऋण देने का अनुरोध किया था, और अनुरोध को अपीलार्थी द्वारा स्वीकार कर लिया गया था।ऋण को 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ चुकाने योग्य बताया गया था।अपीलार्थी का दावा है कि उसने 13 जून 2012 को 10 लाख रुपये, 11 जुलाई 2012 को 18 लाख रुपये और 21 दिसंबर 2012 को एक्सिस बैंक के चेक से 15 लाख रुपये और 39 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि का अग्रिम भुगतान किया था।अपीलार्थी का मामला यह है कि प्रत्यर्थी ने आंशिक रूप से अपने दायित्व का निर्वहन किया और वह रुपये की राशि में शेष राशि के लिए एक डिक्री का हकदार है। 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ 1,11,63,633।अभियोग के पैराग्राफ 5 में निम्नलिखित अभिकथन हैंः

/

/

“वादी द्वारा प्रतिवादी को उपरोक्त ऋण हमेशा इस समझ के साथ दिए गए हैं कि उपरोक्त ऋण 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ वापस किए जाएंगे। कि उपरोक्त ऋण ऋण की अंतिम किश्त के भुगतान की तारीख से एक वर्ष के भीतर यानी नवीनतम 9 अप्रैल, 2014 तक चुकाने योग्य थे।हालाँकि, प्रतिवादी को वादी को अर्धवार्षिक आधार पर 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से उपरोक्त ऋण राशि पर ब्याज का भुगतान करना था। "

/

5. शिकायत के पैराग्राफ 10 में यह दलील दी गई है कि हालांकि ऋण चुकाने की तारीख को ढाई साल बीत चुके हैं, लेकिन प्रतिवादी बकाया राशि का भुगतान करने में विफल रहा है। अपीलार्थी ने यह मामला भी स्थापित किया है कि पक्षों के बीच एक चालू खाता रखा गया है, जिसके अनुसरण में अंतिम भुगतान 24 अक्टूबर 2013 को किया गया था।

/

/

6. प्रत्यर्थी द्वारा दायर लिखित बयान में बचाव पक्ष यह है कि प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी को अचल संपत्ति सेवाएं प्रदान कीं, जिसके लिए अपीलार्थी द्वारा कमीशन का भुगतान किया जा रहा था।यह आरोप लगाया गया था कि व्यावसायिक लेनदेन के लिए किए गए भुगतान को दुर्भावनापूर्ण तरीके से ऋण लेनदेन के रूप में चित्रित किया गया है।कुछ मौकों पर, यह आरोप लगाया जाता है कि संपत्तियों में नवीनीकरण कार्य के लिए भुगतान किया गया था।द.

/

1002

/

[2022] 1 एस सी आर।

प्रत्यर्थी ने इस बात से इनकार किया है कि कोई ऋण लेनदेन हुआ था, और इसके विपरीत, इस दलील को स्थापित किया कि पक्षों के बीच लेनदेन अपीलार्थी द्वारा अचल संपत्ति लेनदेन के संबंध में प्रत्यर्थी को कमीशन के भुगतान से संबंधित है।

7. सीमा के प्रश्न पर विरचित गए प्रारंभिक मुद्दे पर, प्रत्यर्थी द्वारा कोई सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया था।ट्रायल जज ने केवल बार में दलीलों के आधार पर प्रारंभिक मुद्दे की सुनवाई की, यह देखते हुए कि अपीलार्थी लिखित दलीलें दायर करने में विफल रहा है।विचारण न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि वाद के पैराग्राफ 10 में स्वीकार किया गया है कि अंतिम भुगतान अपीलार्थी द्वारा 20 जून 2013 को किया गया था और चूंकि मुकदमा 1 अप्रैल 2017 को शुरू किया गया था, तीन साल नौ महीने और उसके दस दिन बाद, यह सीमा द्वारा वर्जित है।

/

/

8. अपील में, उच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि चूंकि अंतिम भुगतान 24 अक्टूबर 2013 को 3 लाख रुपये की राशि में किया गया था, इसलिए 31 मार्च 2017 को दायर किया गया मुकदमा पिछले पुनर्भुगतान के तीन साल से अधिक था।अभियोग के पैराग्राफ 5 में दिए गए कथन पर विचार करते हुए, जिसे ऊपर निकाला गया है, उच्च न्यायालय ने कहा है कि चूंकि अपीलकर्ता एक कंपनी है, इसलिए "किसी कंपनी से अपने ग्राहकों के साथ मौखिक रूप से आपसी समझ रखने की अपेक्षा नहीं की जाती है।"यह देखते हुए कि इस आशय का कोई लिखित समझौता नहीं है कि ऋण अंतिम किस्त के भुगतान की तारीख से एक वर्ष के भीतर चुकाया जाएगा, उच्च न्यायालय ने कहा कि यह मानना मुश्किल होगा कि ऐसी शर्त पक्षों के बीच अनुबंध का हिस्सा है।अंत में, उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने यह विचार व्यक्त किया कि अपीलार्थी के मामले को स्वीकार करने से एक गलत मिसाल सामने आएगी क्योंकि तब वादी के लिए यह याचिका दायर करने का अधिकार होगा कि 2000 में दिए गए ऋण को 2019 में

भुगतान करने के लिए मौखिक रूप से सहमति दी गई थी और इसलिए 2020 में दायर किया गया मुकदमा सीमा के भीतर है।

/

/

/

9. विद्वान वकील श्री उदय गुप्ता द्वारा अपीलार्थी की ओर से दो प्रस्तुतियों का आग्रह किया गया है।सबसे पहले, यह प्रस्तुत किया गया है कि शिकायत के पैराग्राफ 5 के अभिकथनों ने इस प्रभाव के लिए एक स्पष्ट याचिका स्थापित की है कि ऋण अंतिम किस्त के भुगतान की तारीख से एक वर्ष के भीतर, यानी 9 अप्रैल 2014 तक चुकाया जाना था।इसलिए, 31 मार्च 2017 को दायर किया गया मुकदमा सीमा के भीतर है।प्रस्तुतिकरण के इस अंग पर, यह आग्रह किया गया है कि किसी भी स्थिति में, यह एक ऐसा मामला है जिसकी सुनवाई साक्ष्य के आधार पर की जानी चाहिए और विशुद्ध रूप से मौखिक तर्कों के आधार पर इसका निपटारा नहीं किया जा सकता था।दूसरा, यह प्रस्तुत किया गया है कि यह तर्क कि वाद में पक्षकारों के बीच एक खुला और चालू चालू खाता स्थापित किया गया था, इसका निर्णय मुकदमे में प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर किया जाना है।

/

/

/

10. इन प्रस्तुतियों का विरोध करते हुए, प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील, श्री संजय सहगल ने प्रस्तुत किया कि (i) कथित ऋण लेनदेन की शर्तों का सबूत देने वाले पक्षों के बीच कोई लिखित समझौता नहीं है; (ii) कोई ऋण लेनदेन बिल्कुल नहीं था और जो भुगतान प्रत्यर्थी को अपीलकर्ता द्वारा किए गए थे, वे अचल संपत्ति लेनदेन के लिए कमीशन के कारण थे; (iii) अंतिम भुगतान 24 अक्टूबर 2013 को किया गया था, जो मुकदमा 31 मार्च 2017 को शुरू किया गया था, वह सीमा द्वारा वर्जित है; (iv) सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 1 में कोई आवेदन नहीं है क्योंकि पार्टियों के बीच पारस्परिक भुगतान और प्राप्तियों की परिकल्पना करने वाला कोई खुला, चालू और पारस्परिक चालू खाता नहीं था; और (v) यह कथनों से स्पष्ट है।

/

/

11. अपीलार्थी ने विशेष रूप से शिकायत के पैराग्राफ 5 में एक याचिका दायर की है कि अंतिम किश्त के भुगतान की तारीख से एक साल के भीतर ऋणों का भुगतान किया जाना था।अपीलार्थी के मामले को वाद में प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर साबित करना होता है।इस तरह के मुद्दे का फैसला विशुद्ध रूप से चुनाव लड़ने वाले दलों की ओर से मौखिक तर्कों के आधार पर नहीं किया जा सकता था।प्रत्यर्थी ने ऋण लेन-देन के अस्तित्व से इनकार किया है और याचिका दायर की है कि अपीलार्थी द्वारा किए गए भुगतान कमीशन के कारण थे।पक्षों के बीच व्यावसायिक लेन-देन की प्रकृति पर दो विरोधाभासी संस्करण हैं, अपीलार्थी आरोप लगाता है कि यह एक ऋण था, जबकि प्रतिवादी आरोप लगाता है कि यह अचल संपत्ति सेवाओं के लिए एक कमीशन की प्रकृति में था।

/

/

12. यह मुद्दा कि क्या अपीलार्थी का दावा सीमा द्वारा वर्जित है, पक्षों के बीच लेनदेन की प्रकृति से अलग नहीं किया जा सकता है।किसी भी स्थिति में, क्या वाद के पैराग्राफ 5 में स्थापित अपीलार्थी की याचिका साबित होती है, यह मुकदमे में पेश किए गए साक्ष्य पर निर्भर करेगा। विद्वत विचारण न्यायाधीश द्वारा पक्षकारों को सीमा के मुद्दे पर दलीलों को संबोधित करने का निर्देश देने के बाद की गई कार्रवाई अनियमित थी।वर्तमान मामले में सीमा के मुद्दे के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी।

/

/

13. सी. पी. सी. के आदेश XIV नियम 2 में कहा गया है कि जब एक ही मुकदमे में विधि और तथ्य दोनों के मुद्दे उत्पन्न होते हैं, तो न्यायालय पहले विधि के मुद्दे का परीक्षण करके मुकदमे का निपटारा कर सकता है।इस उद्देश्य के लिए, प्रावधान निर्दिष्ट करता है

/

विधि के दो प्रश्न, जो हैं (i) न्यायालय की अधिकारिता; और (ii) उस समय लागू किसी भी विधि द्वारा बनाए गए मुकदमे के लिए एक अवरोध।प्रावधान नीचे निकाला गया हैः

2. न्यायालय सभी मुद्दों पर निर्णय सुनाएगी।—(1)

इसके बावजूद कि किसी प्रारंभिक मुद्दे पर किसी मामले का निपटारा किया जा सकता है, न्यायालय , उपनियम (2) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, सभी मुद्दों पर निर्णय सुनाएगा।(2) जहां एक ही वाद में विधि और तथ्य दोनों के मुद्दे उत्पन्न होते हैं, और विधि की राय है कि मामले या उसके किसी भाग का निपटारा केवल विधि के मुद्दे पर किया जा सकता है, तो वह पहले उस मुद्दे का प्रयास कर सकता है यदि मुद्दा -

/

((क) न्यायालय की अधिकारिता, या

/

(ख) तत्काल प्रवृत्त किसी विधि द्वारा बनाए गए वाद पर रोक, और उस प्रयोजन के लिए, यदि वह उचित समझता है, तो अन्य मुद्दों के निपटारे को तब तक स्थगित कर सकता है जब तक कि उस मुद्दे का निर्धारण नहीं हो जाता है, और उस मुद्दे पर निर्णय के अनुसार मुकदमे से निपट सकता है।]

/

14. इस न्यायालय के समक्ष नुस्ली नेविल वाडिया बनाम आइवरी प्रॉपर्टीज 2 में मुद्दा यह था कि क्या सीमा के मुद्दे को आदेश XIV नियम 2 के अंतर्गत प्रारंभिक मुद्दे के रूप में निर्धारित किया जा सकता है।इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि यदि सीमा का मुद्दा एक स्वीकृत तथ्य पर आधारित है, तो इसे आदेश XIV नियम (2) (बी) के अंतर्गत प्रारंभिक मुद्दे के रूप में तय किया जा सकता है।हालाँकि, यदि सीमा के मुद्दे से जुड़े तथ्य विवादित हैं, तो इसे प्रारंभिक मुद्दे के रूप में तय नहीं किया जा सकता है।इस न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी कीः

/

51. [...] आदेश 14 नियम 1 के अनुसार, मुद्दे तब उत्पन्न होते हैं जब तथ्य या विधि के एक भौतिक प्रस्ताव की पुष्टि एक पक्ष द्वारा की जाती है और दूसरे द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है।मुद्दों को सामग्री प्रस्ताव पर विरचित किया जाता है, जिसे किसी अन्य पक्ष द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है।तथ्यों और विधि के मुद्दों के मुद्दे हैं।यदि विशिष्ट तथ्यों को स्वीकार किया जाता है, और यदि विधि का प्रश्न उत्पन्न होता है जो स्वीकार किए गए तथ्यों के परिणाम पर निर्भर करता है, तो न्यायालय के लिए आदेश 14 नियम 2 के प्रावधानों के अंतर्गत स्वीकार किए गए तथ्यों और विधि के प्रारंभिक प्रश्न के आधार पर निर्णय सुनाने के लिए खुला है। आदेश 14 नियम 2 (1) में, न्यायालय प्रारंभिक मुद्दे पर मामले का फैसला कर सकती है।इसे सभी मुद्दों पर निर्णय सुनाना होता है।आदेश 14 नियम 2 (2) एक प्रस्थान करता है और न्यायालय

/

/

2 (2020) 6 एससीसी 557 ए

/

1005

मेसर्स मंगोलिया रियल्टी एंड बिल्डवेल पी. वी. टी. लिमिटेड. वी.माणिक सेठी [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.]

न्यायालय की विधि िता के बारे में विधि के प्रश्न या उस समय लागू किसी विधि द्वारा वाद के लिए बनाए गए अवरोध का निर्णय ले सकता है, जैसे कि सीमा अधिनियम के अंतर्गत ।

52. किसी मामले में, सीमा के प्रश्न का निर्णय स्वीकृत तथ्यों के आधार पर किया जा सकता है, इसे आदेश 14 नियम 2 (2) (बी) के अंतर्गत प्रारंभिक मुद्दे के रूप में तय किया जा सकता है।एक बार सीमा के बारे में तथ्य विवादित हो जाने के बाद, सीमा के प्रश्न का निर्धारण भी आदेश 14 नियम 2 (2) के अंतर्गत प्रारंभिक मुद्दे के रूप में या विधि के किसी अन्य ऐसे मुद्दे के रूप में नहीं किया जा सकता है जिसके लिए विवादित तथ्यों की जांच की आवश्यकता होती है।तथ्यों के बारे में विवाद के मामले में, विधि के प्रश्न पर निष्कर्ष देने के लिए दृढ़ संकल्प होना आवश्यक है।इस तरह के प्रश्न को प्रारंभिक मुद्दे के रूप में तय नहीं किया जा सकता है।एक मामले में, अधिकार क्षेत्र का प्रश्न उन तथ्यों के प्रमाण पर भी निर्भर करता है जो विवादित हैं। यदि तथ्य विवादित हैं और विधि का प्रश्न तथ्यों की जांच के परिणाम पर निर्भर है, तो इसे प्रारंभिक मुद्दे के रूप में तय नहीं किया जा सकता है, विधि के ऐसे प्रश्न को प्रारंभिक मुद्दे के रूप में तय नहीं किया जा सकता है, सी. पी. सी. के संशोधन से पहले और वर्ष 1976 में संशोधन के बाद विधि के प्रस्ताव का निपटारा किया जाता है।

/

/

/

15. चूँकि इस मामले में सीमा के मुद्दे का निर्धारण विधि का शुद्ध प्रश्न नहीं है, इसलिए इसे सी. पी. सी. के आदेश XIV नियम 2 के अंतर्गत प्रारंभिक मुद्दे के रूप में तय नहीं किया जा सकता है। इसलिए, हम अपील को स्वीकार करते हैं और 16 अगस्त 2018 के परीक्षण न्यायाधीश और 4 सितंबर 2019 के उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के निर्णय को रद्द कर देते हैं। विद्वत विचारण न्यायाधीश द्वारा विरचित की गई सीमा के मुद्दे पर विचारण में अन्य मुद्दों के साथ निर्णय लिया जा सकता है।उपरोक्त शर्तों में अपील की अनुज्ञात होगी।

/

16. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाता है।

/

अंकित ज्ञान

अपील अनुज्ञात ।

(सहायकः राहुल राठी, एलसीआरए)

/

/